REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 8 | MAY - 2018

कश्मीर का सामरिक महत्त्व एवं भारतीय सुरक्षा

प्रा. डॉ. के. बी. पाटील
सहयोगी प्राध्यापक , विभाग प्रमुख, संरक्षण व सामरिक शास्त्र
श्रीमती. एच. आर. पटेल कला महिला महाविदयालय, शिरपूर जि. धुळे.

❖ प्रस्तावना :-

अगस्त 1947 को जब हिन्दुस्तान से ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हुआ तो कश्मीर एक स्वतन्त्र राज्य बन गया। विभाजन की शर्तों के अनुसार यह बात उस राज्य पर निर्भर करता था कि वह भारत या पाक किसी एक में शामिल हो जाए या स्वतंत्र बना रहे। अत: कश्मीर के राजा ने भारत और पाक दोनो द्वारा पेश किए गए राज्य प्राप्ति के उपकरणों को अस्वीकार कर अपने राज्य की स्वतन्त्र रखने की इच्छा प्रकट की। 12 अगस्त 1947 को काश्मीर के राजा ने भारत तथा पाक के साथ एक यथास्थित समझौता किया तांकि आर्थिक एवं संचार सेवाओं के मामले में यथापूर्व स्थिती बनाए रखा जा सके। पाक ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया परन्तु भारत ने ऐसा नहीं किया तथा कश्मीर के राजा को बातचीत के लिए आमन्त्रित किया।"[1] बाद की स्थिती को देखकर स्पष्ट हो गया कि यथास्थिति समझौते को मान्यता देना पाक का केवल एक दिखावा मात्र था क्योंकि एक महिने के अंदर ही उसके कश्मीर के लोंगों की आर्थिक गतिविधियाँ बंद करके तथा अपने क्षेत्रों से खाद्य पदार्थों आदि की आपूर्ति रोक कर तंग करना शुरु कर दिया। आर्थिक रुप से बहिष्कार कर निर्णय करने से ऐसा लगता है कि पाक कश्मीर को अपने में मिलाने के लिए ऐसा कर रहा था। किंतु इससे भी अपनी इच्छा की पूर्ति न होता देखकर वह सैनिक दबाव डालने के लिए उत्सुक दिखाई देने लगा। पाक का ऐसा सोचना था कि कश्मीर एक मुस्लिम देश का हिस्सा बने परिणामत: उसने कश्मीर पर कबायली आक्रमण करवा दिया। इससे कश्मीर पर आक्रमणकारियों का आधिकार हो जाने का खतरा पैदा हो गया। कश्मीर के राजा ने भारत से सहायता के लिए प्रार्थना की परंतु कश्मीर का भारत मे शामिल न होने के कारण भारत ने उसे सहायता देने में असमर्थता व्यक्त की।"[2]

23 अक्टूबर, 1947 को कश्मीर के राजा ने यह निर्णय किया कि कश्मीर भारत में सम्मिलित हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने विलय के संलेख को निष्पादित किया तथा कश्मीर के विलय को उस समय के गवर्नर जनरल माऊण्टबॅटन ने स्वीकार किया।"[3] कश्मीर की विधिवत् रुप से चुनी गई सरकार, जिसका मुखिया राजा था, जिसके साथ पाक भी यथास्थिती समझौता राजा से पहले ही चुका था कि कार्य से कश्मीर भारत का एक अंग बन गया। तब राजा हरिसिंह को अन्य देशी शासकों द्वारा निष्पादित अंगीकार पत्र के समान अंगीकार पत्र निष्पादित करके भारत से सहायता माँगनी पडी थी। इस अंगीकार पत्र से भारत डोमीनियन को उस रियासत पर प्रतिरक्षा, विदेश कार्य और संचार की बाबत अधिकारिता प्राप्त हो गई।"[4] 26 अक्टूबर 1947 को जब राजा हरि सिंह ने विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किया तो उसके साथ ही उन्होंने भारत के तत्कालीन गवर्नर माऊण्टबॅटन के नाम पर शर्तनामा भी संलग्न किया था।, जिसमें उन्होंने रक्षा, विदेश और संचार और मुद्रा सबंधो नियमों को भारत सरकार को सौंपते हुए शेष सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार खुद के पास रखा गया था। विलय के संलेख के अनुसार-काश्मीर राज्य का भारतीय डोमीनियन मे विलय कुछ शर्तों के अध्यधीन था। संलेख में प्रवाधान डोमीनियन विधायिनी को कश्मीर राज्य में किसी प्रभाव के लिए अनिवार्य रुप से भूमि अर्जन करने पर अधिकार नहीं देता। यदि कश्मीर के लिए भूमि अर्जन आवश्यक हुआ तो उनकी प्रार्थना पर राजा उस भूमि को डोमीनियन के खर्चे पर डोमीनियन के लिए अर्जितर करेंगे। इसके अतिरिक्त संलेखो में यह भी प्रावधान था कि संलेख से राजा भविष्य के भारतीय संविधान को मानने के लिए बाध्य नही होंगे और न ही भविष्य में बने ऐसे संविधान से भारत सरकार के करार करने का उनका विशेषाधिकार प्रभावित होगा।"[5]

अनुच्छेद 370 :-

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में रखा गया जिससे उक्त विषय संलेख की भावना एवं लिखत के अनुरुप कश्मीर राज्य में रखा गया जिससे उक्त विलय संलेख की भावना एवं लिखत के अनुरुप कश्मीर राज्य की भारतीय संघ में विशेष स्थिती बनी हुई है। अनुच्छेद 370 में प्रावधान है कि संविधान के अन्य प्रावधानों के बावजूद कश्मीर राज्य के संबंध में संसद की

कानून बनाने की शक्ति संघीय सूची तथा समवर्ती सूची के केवल उन विषयों तक ही सिमित है जो कश्मीर राज्य के साथ सलाह करके राष्ट्रपति यह घोषित करे की वह मामले, विलय संलेख में उल्लिखित मामलों के समरुप है कि अनुच्छेद 370 अब लागू नही होगा किंतु इसमें एक परंतुक लगा है जिसके अनुसार राष्ट्रपति ऐसी घोषणा कश्मीर राज्य की संविधानिक सभी की संस्तुति पर ही कर संकेंगे।"[6] राज्य पर संसद का विधायी प्राधिकार भी संघ और समवर्ती सूची हीउन्हीं मदों तक सीमित रहेगा जो अंगीकार पत्र में विनिर्दिष्ट विषय में तत्स्थानी है। यह अंतरिम व्यवस्था तब तक चलेगी जब तक सवैधानिक सरकार अपना विनिश्चय न कर दे।

संविधान के उपर्युक्त उपबंधो के अनुसरण में राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मु-कश्मीर का लागू होना) आदेश 1950 को निकाला। यह कश्मीर राज्य के परामर्श से निकाला गया था और इसमे वे मामले विनिर्दिष्ट थे जिनकी बाबत संघ की संसद कश्मीर राज्य के लिए विधि बनाने के लिए सक्षम होगी। यह मामले उन तीन विषयों से संबंधीत थे अर्थात प्रतिरक्षा विदेश कार्य और संचार, जिनकी बाबत कश्मीर ने भारत में विलय किया था। 1949 के भारत-पाक कार्य और संचार, जिनकी बाबत कश्मीर ने भारत में विलय किया था। 1949 के भारत-पाक युद्ध विराम के साथ ही भारत की कश्मीर समस्या लडाई में आ चुका था बाकी हिस्से में 1951 में अंशकालिक और संक्रमणकालीन प्रावधानों समेत अनुच्छेद 370 के तहत विशेष का दर्जा दिया गया था। इस विशेष दर्जे का सार यह था प्रमुख सदर-ए-रियासत को केंद्र तभी नियुक्त कर सकता था जब राज्य विधान सभा ने उसके चयन को मंजूरी दे दी हो"[7]

कश्मीर का संविधान सभी द्वारा अनेक निर्णय लिए गए थे। इन निर्णयो तथा इनके प्रभावों पर सम्यक विचार विमर्श आवश्यक हो गया था। अत: भारत सरकार और कश्मीर राज्य के मध्य हुए विचार विमर्श के दौरान एक करार जुलाई 1952 में हुआ जो दिल्ली समझौते के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके कुछ बिंदू इस प्रकार है -

1) भारत शासन इस बात पर सहमत हुआ कि यद्यपि सभी राज्यों को संबंध मे विधायिका के अवशेषों शक्तियाँ केंद्र मे निहित है किंतु कश्मीर राज्य के संबंध में अवशेषी शक्तियॉ राज्य मे निहित है।
2) यह सहमति हुई कि कश्मीर में अधिवासित व्यक्ति, भारत के नागरिक माने जाएंगे, किंतु राज्य विधायिका, राज्य की जनता को विशेषाधिकार प्रदान करने हेतु सशक्त होगी।
3) इस बात के लिए भी सहमति हुई कि राष्ट्रीय झण्डे के अतिरिक्त, कश्मीर राज्य का अपना झण्डा होना चाहिए तथा राज्य का झण्डा संघ के झण्डे का प्रतिद्वंदी नही होगा"[8]

भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि कश्मीर के शासक द्वारा राज्य के भारत के संबंध उस राज्य की संविधान सभा द्वारा अंतीम रुप से अवतारित किए जाएंगे। राज्य के लोगो ने प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा का निर्वाचन किया जिसका पहला अधिवेशन 31.10.1951 को हुआ। राज्य की संविधान सभा ने पहला कार्य यह किया कि राजा के अनुवांशिक शासन को समाप्त कर दिया। इस प्रकार कश्मीर राज्य मे राजाओ का शासन समाप्त हुआ और राज्य का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होने लगा। अक्टु 1956 को संविधान सभा ने राज्य का स्थायी संविधान बनाने के लिए अनेक समितियॉ गठित की। कश्मीर राज्य की यह विशेष बात है कि भारत के सभी राज्यों को शामिल करने वाले भारत के संविधान के भाग 6 के उपबंधो के स्थान पर उस राज्य के संविधान के लिए एक पृथक संविधान है"[9] पृथक राज्य संविधान को अंगीकार करके राज्य में जो उदार अध्युपाय किए गए है उनके होते हुए भी कश्मीर के पाक समर्थक तथ्य इस बात के लिए लगातार आंदोलन करते रहे कि राज्य पाक में मिले या भारत में, इसके लिए अंतीम रुप से फैसला करने के लिए जनमत संग्रह होना चाहिए। अंत: इस माँग को लेकर पाक समर्थक 'प्लैबिसिट फ्रंट' द्वारा हिसात्मक कार्य भी किए गए किंतु फरवरी 1975 को भारत सरकार और प्लैबिसिट फ्रंट के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हो गया।

भारतीय सुरक्षा :-

भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान केंद्र में एक मजबूत संघीय सरकार की कल्पना करता है। यह देश एकता तथा अखंडता के लिए संघीय सरकार की यह सहठता आवश्यक भी है किंतु इसके साथ ही साथ संविधान राज्यों का एक निर्वाचन आयोग का विधान भारतीय संविधान में किया गया है किंतु कश्मीर के अपने सदर-ए-रियासत व वजीरे-आजम की माँग का कारण प्रथम दृष्ट्या यही प्रतीत होता है, कि यह केवल राज्य को देश से अलग करने की एक चाल है अब वह समय आ गया है जब कश्मीर को पूरी तरह से भारतीय संविधान के अंतर्गत लाया जाए एक राष्ट्र मे दो संविधान रहे इसका कोई औचित्य नही है। स्वायत्ता का अर्थ यह नही होता है कि राज्य की जो परिकल्पना है उसे ही ध्वस्त कर दिया जाए और स्वायत्ता की आड में देश को विभाजन की ओर ढकेल दिया जाए। यदि स्वायत्ता देश को विभाजन कि ओर ले जा रही हो या ऐसी परिस्थिती पैदा कर रही जो राष्ट्र की प्रभुसत्ता के लिए खतरा हो तो उसे किसी भी मूल्य पर मान्यता नही दी जा सकती"[10] भारत के लिए कश्मीर का स्त्रोतेजिक महत्त्व बहुत अधिक है। अभी तक हुए चार युद्धो में यह शत्रुओं का प्रमुख लक्ष्य रहा है। कश्मीर तीन हिस्सों मे बटा है- जम्मू, लद्दाख कश्मीर। भारत की अंतरिक सुरक्षा का आकार बहुत बडा है। अंतरिक सुरक्षा, कानुन एव व्यवस्था को बनाए रखने के साथ वह प्रशासन के विभिन्न अंगो के माध्यम से विश्वसनीय सूचनाएँ एकत्र करना, आतंकवाद तथा भीतरघात रोकने तथा एक स्वस्थ समाज व्यवस्था पर निर्भर करता है। यदि किसी देश की राजनिति मे सत्ता हथियाने की बुराई घर कर जाती है तो शत्रु राज्यों द्वारा आंतरिक

व्यवस्था को तोडकर शांति भंग करने का प्रयास किया जाता है।जनता को जाति या धर्म के आधार पर बाँट दिया जाता है तब राज्य के साधनो से आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना प्राय: असंभव हो जाता है। जो कश्मीर के बारे मे पूर्णतया राज्य सिद्ध होता है"[11] कश्मीर की तीन पर्वत श्रेणियाँ जास्वर, पीरपंजाल और पंजी जिनके बारे मे यदि विचार करें तो इन शिखरो ने भारत को मध्य एशिया व यूरोपीय देशों के प्रभाव से मुक्त रखा। सामरिक दृष्टि से कश्मीर घाटी व गिलगिट का क्षेत्र पर विश्व की महाशक्तियों अपनी नजरें जमायी हुई है भविष्य मे गिलगिट कभी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नया विस्फोट का केंद्र बन सकता है। चीन द्वारा एक विशाल राजमार्ग का निर्माण कर जाने के बाद इस क्षेत्र की सामरिक महत्त और भी बढ गई है। आज के अधिकत्तर युद्धों मे राज्यों द्वारा यही प्रसास किया जाता है कि युद्ध उनकी धरती पर न लडा जाए। ऐसी स्थिती मे इस क्षेत्र का सामरिक महत्त्व बढ, जाना स्वाभाविक है। इस क्षेत्र मे अनेक सामरिक महत्त्व के दरें है जिनमे-शिपकी, जोजिला, पीरपंजाल, चांगला, भूंजनाग और बुर्जिला आदि है ये दरे कभी भी शत्रु का प्रवेश द्वार बन सकते है क्योंकि भारत-चीन युद्ध मे चीन ने शिपकी दरे से होकर लद्दाख के कई स्थानों पर अपना कब्जा जमा लिया।

सारांश :-

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में देखकर यह बात ध्यान देने की है कि यदि कश्मीर को स्वायत्ता प्रदान करने की स्थिती में चीन या पाक की ओर से कोई आक्रमण होने की स्थिती के लिए हमें इन महत्त्वपूर्ण सामरिक स्थलों को स्वायत्ता प्रदान कर देनी चाहिए? यदि हम कश्मीर की आर्थिक स्थिती पर विचार करे तो ज्ञात होगा कि राज्य की आय का प्रमुख स्त्रोत पर्यटन व्यवसाय तथा कुछ लघु कुटीर उद्योग है जिनमें कालीन इत्यादि का निर्माण होता है। पिछले कुछ वर्षो में विस्फोटक स्थिती के कारण राज्य की स्थिती काफी खराब हो चुकी है और यह केवल केंद्र से मिली आर्थिक सहायता पर ही खडा है। यदि केंद्र से मिलने वाली सहायता बंद हो जाए तो राज्य की स्थिती बत्तर हो जाएगी।

एक और बात यह है कि पिछले 15 वर्षो से जिस आतंकवाद की आग मे राज्य जल रहा है तथा जिससे पूरी तरह निपटने में केंद्र सरकार भी पूरी तरह सफल नही हो पा रही है प्रस्तावित स्वायत्ता प्राप्त कर लेने के बाद राज्य की अशांति को किस प्रकार दूर किया जा सकेगा। अतंत: हम देखते है कि कश्मीर द्वारा प्रस्तावित स्वायत्ता को यदि मान लिया जाए तो यह भारतीय संघ के स्वरुप का ही विनाश कर देगी। इस राज्य के अलग सदर-ए-रियासत व वजीर-ए-आजम की माँग यदि मान ली जाए तो संविधान के उस रुप का खण्डन कर देगी जिसमें संपूर्ण देश में एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात कही गई है। केंद्र के लिए यह प्रश्न भी विचारणीय होगा कि जिस प्रकार की स्वायत्ता कश्मीर को दी जाने की बात की जा रही है उसका भारत के अन्य राज्यो पर क्या प्रभाव पडेगा।

संदर्भ :-

1) यू. आर. घई-भारत की विदेशनिति, पृ. 327
2) वही, पृ. 328-329
3) डॉ. एस. के. कपूर-अंतर्राष्ट्रीय विधि, पृ. 812
4) डॉ. एस. के. कपूर-अंतर्राष्ट्रीय विधि, पृ. 813
5) डॉ. एस. के. कपूर-अंतर्राष्ट्रीय विधि, पृ. 813
6) वही
7) प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त 2000, पृ. सं. 32
8) डी. डी. बसु-भारत का संविधान एक परिचय, पृ. 254
9) सुरेश कुमार शर्मा- कश्मीर थ्रू द एजेज, पृ. 306
10) दैनिक जागरण-अगस्त, 2001
11) लल्लन जी सिंह-राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा पृ. 93-94